कृषि महाविद्यालय, नागौर
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)
बीकानेर रोड़, नागौर–341001, राजस्थान, भारत
COLLEGE OF AGRICULTURE, NAGAUR
(AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR)
Bikaner Road, Nagaur-341001, Rajasthan, India
Telephone: 01582-294469, Email: coanagaur15@gmail.com

No.F. 14(5)/CoA/NGR/Farm/2025/557 Date:17-06-2025

पुनः खुली निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि महाविद्यालय, नागौर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) के फार्म पर हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा वर्ष 2025–26 हेतु मुहरबन्द निविदा (अनुमानित लागत रूपये 4,00,000/– अक्षरे रूपये चार लाख मात्र) आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति उक्त कार्य के लिए निविदा प्रपत्र शुल्क रु 500/– (अक्षरे रु पाँच सौ मात्र) नगद जमा कर दिनांक 21.06.2025 वार **शनिवार** को सुबह 11.00 बजे तक कृषि महाविद्यालय, नागौर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मय धरोहर राशि रूपये 8000/– (अक्षरे रूपये आठ हजार मात्र) रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट जो अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर (Dean, College of Agriculture, Nagaur) के नाम से देय हो, दिनांक 21.06.2025 वार **शनिवार** को सुबह 11.30 बजे तक कृषि महाविद्यालय, नागौर के कार्यालय में जमा करवा सकते है। निविदा उसी दिन 21.06.2025 वार **शनिवार** को दोपहर 12.00 बजे के बाद खोली जायेगी **यदि किसी कार्यालय कारणवश निविदा नही खोली जाती है तो इसे अगले कार्यदिवस को खोला जावेगा।** निविदा प्रपत्र व शर्तो को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाईट https://www.aujodhpur.ac.in अथवा राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाइट https://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत /स्थगित/संशोधन आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

UBN No.- JAU2526WSOB00054

DEAN
17/6/2025

Copy to the followings for information:

1. The Comptroller, AU, Jodhpur
2. The Additional Director Research (Seed), AU, Jodhpur
3. Account Section, COA, Nagaur
4. Notice Board, COA, Nagaur

DEAN
17/6/2025
DEAN
अधिष्ठाता
College of Agriculture
कृषि महाविद्यालय, नागौर (राज.)
(AU, Jodhpur)
Nagaur (Raj.)

कृषि महाविद्यालय, नागौर

(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा (वर्ष 2025–26)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2025–26 / सं. 01 UBN No.-JAU2526WSOB00054
निविदा क्रम संख्या	No.F. 14(5)/CoA/NGR/Farm/2025/557 Dated: 17-06-2025
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / –रूपये रसीद संख्याः..दिनांकः–......................
निविदा वर्ष	2025–26 (खरीफ 2025, वर्षा आधारित)
खेती की अनुमानित अवधि	खरीफ–2025 (जून 2025 से नवम्बर, 2025 तक)
अनुमानित लागत	रू. 4,00,000 / –
परिशिष्ट संख्या – एक	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र
परिशिष्ट संख्या – दो	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	17.06.2025 से 21.06.2025 को सुबह 11:00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	21.06.2025 को सुबह 11:30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	21.06.2025 को दोपहर 12.00 बजे बाद
निविदा खोलने का स्थान	कृषि महाविद्यालय, नागौर
पत्राचार हेतु पता	कृषि महाविद्यालय, नागौर–341001

नोटः– धरोहर राशि कृषि महाविद्यालय, नागौर में किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 21.06.2025 को सुबह 11:30 बजे तक जमा करायी जा सकती है। धरोहर राशि रोकड या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय नागौर (Dean, College of Agriculture, Nagaur) के नाम देय हों, जमा करायी जा सकती हैं।

संलग्नः–निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्ते–

अधिष्ठाता 17/6/25

DEAN
अधिष्ठाता
College of Agriculture
कृषि महाविद्यालय, नागौर (राज.)
(AU, Jodhpur)
Nagaur (Raj.)

परिशिष्ट–1

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र (वर्ष 2025-26)

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

निविदा क्रम संख्या	No.F. 14(5)/CoA/NGR/Farm/2025/ Dated: 17-06-2025
निविदा का नाम	हिस्सा आधारित प्रणाली पर वर्ष 2025–26 में बीजोत्पादन फसलों की खेती
खेती की अनुमानित अवधि	खरीफ–2025 (जून 2025 से नवम्बर, 2025 तक)
निविदादाता का नाम व पता	.... आधार सं... दूरभाष नं...
धरोहर राशि का विवरण	रूपये 8000 / –(अक्षरे रूपये आठ हजार मात्र) (रोकड/बैंक ड्राफ्ट) रसीद सं..............................दिनांक.............................. बैंक ड्राफ्ट संख्या..............................दिनांक.............................. बैंक का नाम..............................शाखा..............................

कृषि महाविद्यालय, नागौर के फार्म पर वर्ष 2025–26 में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की पैदावार में दाना / बीज उपज में निविदादाता / ठेकेदार एवं कृषि महाविद्यालय नागौर की हिस्सेदारी :–

क्र.सं.	मौसम / वर्ष	निविदादाता / ठेकेदार का हिस्सा (प्रतिशत में)	कृषि महाविद्यालय नागौर का हिस्सा (प्रतिशत में)
1.	खरीफ 2025 (अनुमानित क्षेत्रफल 25.0 हेक्ट.)		

Sd/- 17/6/2025
DEAN
अधिष्ठाता
College of Agriculture
कृषि महाविद्यालय, नागौर (राज.)
(AU, Jodhpur)
Nagaur (Raj.)

हस्ताक्षर–निविदादाता (ठेकेदार)
निविदादाता का नाम..............................
पता..

परिशिष्ट–2

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर** के नाम देय हों तथा निविदा लिफाफे पर **''हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा दिनांक 21-06-2025 सुबह 11.30 बजे तक देय''** तथा निविदादाता का पता लिखा होना चाहिये।
2. निविदा बॉलप्वांईट नीली स्याही से हाथ से लिखी होनी चाहिये एवं हिस्सा (प्रतिशत में) अंकों व शब्दों में स्पष्ट लिखा होना चाहिये तथा किसी प्रकार की कांट छांट अथवा ऊपर ठीक किया हुआ कोई अक्षर स्वीकृत नहीं होगा।
3. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये।
4. निविदा दरें वर्ष 2025–26 के लिए अनुमोदन के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी जिसमें खरीफ–2025 ऋतु के लिए अनुमोदित की गई दरें उक्त ऋतु की समय अवधि के लिए ही मान्य होगी। **परन्तु विशेष परिस्तिथियों में नियमानुसार इसे आगे बढ़ाया जा सकता हैं।**
5. निविदा के साथ 8000/– रूपये की धरोहर राशि रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो कि **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय नागौर (Dean, College of Agriculture, Nagaur)** के नाम देय हों, प्रस्तुत करें। धरोहर राशि के बिना एवं निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। **चेक** के रूप में धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. सफल निविदादाता के अलावा सभी को धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 7 दिन में लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य यथा डिस्क प्लाउ व कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी का कार्य व बुवाई आदि हेतु आवश्यक मशीनरी एवं डीजल खर्च की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जायेगी, परन्तु इस कार्य में समस्त प्रकार के श्रमिक अवयव (मय वाहन चालक) ठेकेदार के होंगे।
8. बुवाई हेतु बीज एवं खाद की आपूर्ति महाविद्यालय द्वारा की जायेगी। खेत की सफाई, जुताई, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, खरपतवार निकालना, सफाई व पैकिंग आदि का कार्य ठेकेदार स्वंय ही करायेगा अर्थात बुवाई से लेकर फसल काटने, फसल की चौकीदारी करने व उत्पादन निकालने तक का श्रमिक अवयव व इसके बाद उत्पादन की सफाई करके उसे बोरों में भरकर पैकिंग कर गोदाम में तौलने तक की प्रक्रिया में लगने वाला समस्त श्रमिक अवयव निविदादाता का ही होगा। अगर बुवाई उपरान्त निविदादाता किसी कार्य को करने के लिए ट्रेक्टर का प्रयोग करता है तो उससे सम्बन्धित सभी खर्च निविदादाता के ही होगें।
9. फसल की चौकीदारी करने व उत्पादन (चारा व दाना) निकालकर जमा कराने तक की संपूर्ण सुरक्षा/चौकीदारी की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी, इसके लिए महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा । कटाई के बाद फसल की थ्रेशिंग अधिष्ठाता/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार उनकी निगरानी में बताये गये स्थान पर ही करनी होगी।

17/6/2025

10. फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति में फफूंदनाशक, कीटनाशक व अन्य छिड़काव आदि की आपूर्ति भी महाविद्यालय ही करेगा, परंतु श्रमिक अवयव निविदादाता के ही होंगे।
11. निविदादाता को अवगत रहे कि कृषि महाविद्यालय नागौर **के फार्म पर खरीफ** फसल उत्पादन **वर्षा आधारित है।** अतः सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नही रहेगी।
12. बीज उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाऐं जैसे निराई–गुड़ाई (कम से कम दो बार) एवं रोगिंग (अवांछित पौधों को निकालना) अधिष्ठाता / फार्म प्रभारी / फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सभी श्रमिक अवयव निविदादाता को वहन करना होगा।
13. निराई–गुड़ाई व अन्य कृषि से सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार अधिष्ठाता / फार्म प्रभारी / फार्म मैनेजर को होगा।
14. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा तथा ठेकेदार इसके लिये बाध्य होगा।
15. फसलों की रखवाली करने की समय पर निराई–गुड़ाई व जैविक दवाओं का छिड़काव / भुरकाव तथा समय पर कटाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसमें शिथिलता बरतने व नुकसान होने पर समिति द्वारा आंकलन किया जायेगा, जिसे निविदादाता के भुगतान में से काट लिया जायेगा।
16. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की कोई कृषि या अन्य नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भरना होगा अन्यथा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर धरोहर राशि में से काट लिया जायेगा।
17. धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा एवं ठेका समाप्ति पर राशि हेतु आवेदन पश्चात लौटा दी जायेगी ।
18. फसल के दौरान निविदादाता स्वंय के पशु वगैरहा फार्म पर नहीं लायेगा तथा ना ही यहां से हरा चारा आदि ले जाने दिया जायेगा।
19. कृषि महाविद्यालय, नागौर के फार्म पर उपलब्ध घास, लूंग, पातड़ी व पेड़ इत्यादि पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।
20. निविदादाता (ठेकेदार) उक्त केन्द्र की भूमि पर किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नही करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को काश्त हेतु आगे से आगे नहीं देगा अन्यथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
21. निविदादाता को महाविद्यालय के मुख्य द्वार से ही आना–जाना करना होगा। किसी भी अवांछित व्यक्ति को फार्म पर आने की इजाजत नहीं होगी।
22. हिस्सा आधारित बीजोत्पादन खेती की बुवाई के क्षेत्रफल को बढाने या कम करने का तथा फसलों के चयन का अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर को होगा।
23. महाविद्यालय के फार्म पर निविदादाता को अधिष्ठाता / फार्म प्रभारी / फार्म मैनेजर द्वारा बताई गई फसलों की ही बुवाई करनी होगी, इसके अलावा कोई भी फसलों की बुवाई निविदादाता द्वारा नहीं की जा सकेगी।
24. फार्म कार्य हेतु आवश्यक हाथ औजार जैसे फावड़ा, कुदाली, गेती, खुरपी, दांतली आदि ठेकेदार को स्वंय लाने होंगे।

17/6/2025

25. निविदादाता को 2025–26 के ऋतु में बीजोत्पादन फसलों की खेती से प्राप्त उपज उक्त ऋतु की समय अवधि में समय पर जमा करानी होगी।
26. फार्म पर उत्पादित बीज में से ठेकेदार के हिस्से को खरीदने का पहला हक कृषि महाविद्यालय, नागौर का होगा। यदि निविदादाता के हिस्से का उत्पादन इस महाविद्यालय द्वारा क्रय किया जाता है तो महाविद्यालय उसे उपज जमा कराने के तुरंत पश्चात् नागौर कृषि उपज मंडी के एक माह के उच्चतम मूल्य का औसत या न्यूनतम समर्थन मूल्य (जिनका सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित है), जो भी अधिक हो, मान्य होगा।
27. बीज उत्पादन प्रक्रिया में फसल के चारे का हिस्सा ठेकेदार का होगा लेकिन ठेकेदार चारे को दाने की पैदावार जमा कराने के बाद ही ले जा सकेगा।
28. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा और ठेकेदार पालना के लिये बाध्य होगा। विशेष परिस्थितियों में विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के ऑर्बिट्रेशन में प्रस्तुत करना होगा और उनका निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।
29. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये **स्वीकृत/ अस्वीकृत/स्तगित/** निरस्त **व निविदा की अवधि को बढ़ाना व कम** करने का अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर के पास सुरक्षित रहेगा एवं अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर का निर्णय सर्वमान्य होगा।

मुझे निविदा की समस्त शर्तें मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त वर्णित शर्तों पर उक्त खेती करने के लिये सहमत हूँ।

निविदादाता / ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक...

अधिष्ठाता / हस्ताक्षर मय सील

17/6/2025

DEAN
अधिष्ठाता
College of Agriculture
कृषि महाविद्यालय, नागौर (राज.)
(AU, Jodhpur)
Nagaur (Raj.)

हस्ताक्षर कमेटी सदस्य

1.

2.

3.

4.

5.